उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division,Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड, गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 2016 वि0प्रे0खं–(गा0)/ दिनांक. 25/11/2021

विषयः– 400के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा, सोनभद्र

सन्दर्भ–1.कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर, पत्रांक 2031/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक 28.10.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 1238/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 16.11.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में कुछ आपत्तियॉ/कमियॉ दर्शायी गयी है। जिसमें बिन्दु संख्या 1,3 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है, तथा बिन्दु संख्या 6,7 से सम्बन्धित प्रस्ताव के अंतिम पृष्ठ तक की पी0डी0 एफ0 फाइल एवं आवश्यक प्रमाण पत्र (पेन ड्राइब में) पॉच प्रतियों में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु संख्या 2, 4 व 5 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथापरोक्त

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु लीज पर हस्तान्तरित भूमि के क्षेत्रफल का विवरण

(लैण्ड शेड्यूल)

वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	बीट का नाम	क0नं0	प्रभावित वनभूमि की अराजी सं0	प्रभावित वन भूमि की ल0 (कि0मी0)	प्रभावित वन भूमि की चौ0 (कि0मी0)	प्रभावित वन भूमि की क्षे0 (हे0) में	भूमि का प्रकार
ओबरा वन प्रभाग	डाला	बिल्ली मारकुण्डी	चोपन	58	6010,6013,6014	0.066404	0.052	0.3453	आरक्षित वन भूमि
			डॉला	54	5924	0.02797	0.052	0.1454	
			डाला	57	6221मि0	0.90550	0.052	4.7087	
			डाला	33	5116	0.14463	0.052	0.7521	
			डाला	37	5511मि0,5504	0.03314	0.052	0.1723	
			डाला	39	5586मि0,5587,5631	0.1010	0.052	0.5252	
			डाला	83	2327ख	0.1177	0.052	0.6120	
			डाला	04	2328ख	0.04824	0.052	0.2508	
					योग	1.44458		7.5118	

26.11.2021

(एस0के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
वि0प्रे0खं0–गाजीपुर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1753/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक–05.06.2021 को 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ 04/1692/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 तत्कम में उप सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई–322/14–2–99/700(2)/97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 20 वर्षो के लिए उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। जिसका लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ''परिवेश'' पोर्टल के माध्यम से (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/44753/ 2020) दिनांक–22.07.2020 को आवेदन किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक–07/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक– 04.01.2021 को प्रस्ताव हार्ड कापी में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय में प्रेषित किया गया। 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्कम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968 हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	बिल्ली मारकुण्डी	6010/6013/6014	0.3453
2	बिल्ली मारकुण्डी	5924	0.1454
3	बिल्ली मारकुण्डी	6221मि0	4.7087
4	बिल्ली मारकुण्डी	5116	0.7521
5	बिल्ली मारकुण्डी	5511मि0,5504	0.1723
6	बिल्ली मारकुण्डी	5586मि0, 5587, 5631	0.5252
7	बिल्ली मारकुण्डी	2327ख	0.6120
8	बिल्ली मारकुण्डी	2328ख	0.2508
		योग:–	7.5118हे0

अतः 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज 19.968हे0 के स्थान पर, धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है, जिसका लीज नवीनीकरण किया जाना है।

(दिनेश कुमार यादव)
वन दरोगा / बीट प्रभारी, डाला।

(त्रिलोकी दूबे)
वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी, चोपन।

(राम कुमार)
अवर अभियन्ता
वि0प्रे0 उपखण्ड, III
रावर्टसगंज।

(राजेश कुमार सोनकर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला।

(एस0 के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर

(अविनाश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत प्रेषण उपखण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
राबर्टसगंज-सोनभद्र

Scanned with CamScanner